ट्रेडमार्क

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सदर लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड (Sadar Laboratories Private Limited) के पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिये **दायर याचिका में हमदर्द लैबोरेटरीज़ (Hamdard Laboratories) के पक्ष में** अंतरिम आदेश दिया।

- न्यायालय ने **रूह अफज़ा (Rooh Afza) बेचने वाले हमदर्द दवाखाना** द्वारा कथित ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मीठे पेय पदार्थ 'शरबत दिल अफज़ा (Sharbat Dil Afza)' के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है।

न्यायालय का फैसला:

- न्यायालय ने कहा कि **रूह अफज़ा ने एक सदी से अधिक समय तक हमदर्द के लिये स्रोत पहचानकर्त्ता के रूप में काम किया है** और इसने अपार सद्भावना हासिल की है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि यह व्यापार चिह्न से सुरक्षित दूरी बनाए रखे।
- यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि 'दिल अफज़ा' के लेबल को देखने वाला व्यक्ति 'रूह अफज़ा' के लेबल को याद करेगा क्योंकि 'अफज़ा' शब्द आम है तथा 'रूह' व 'दिल' शब्द का अर्थ अंग्रेज़ी में **आमतौर पर संयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है।**
- दोनों उत्पादों में '**गहरा लाल रंग और बनावट' समान है** एवं 'बोतलों की संरचना भौतिक रूप से भिन्न नहीं है', **इस प्रकार यह आशंका जताई गई है कि "आक्षेपित ट्रेडमार्क की व्यावसायिक छाप भ्रामक रूप से अपीलकर्त्ताओं के ट्रेडमार्क के समान है"।**

ट्रेडमार्क:

- ट्रेडमार्क एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है। ट्रेडमार्क **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** द्वारा संरक्षित हैं।
- भारत में ट्रेडमार्क गतिविधियों का संचालन व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (Trademark Act, 1999) द्वारा होता है, जिसे वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था।
- यह कानूनी रूप से एक **उत्पाद या सेवा को अपनी तरह के अन्य सभी उत्पाद से अलग करता है और ब्रांड के स्रोत कंपनी के स्वामित्व को मान्यता देता है।**
- हालाँकि ट्रेडमार्क की समयसीमा समाप्त नहीं होती है, लेकिन मालिक को उनसे जुड़ी सुरक्षा प्राप्त करने के लिये इसका नियमित उपयोग करना चाहिये।
- यह विशेष रूप से वस्तु या सेवाओं के स्रोत के रूप में किसी **विशेष व्यवसाय की पहचान करने वाले मूल के बैज के रूप में कार्य करता है।**
- एक **पंजीकृत ब्रांड के समान या भ्रामक रूप से समान चिह्न का अनधिकृत उपयोग** ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाता है।
- एक चिह्न को मज़बूत तब कहा जाता है जब वह प्रसिद्ध हो और उसने उच्च कोटि की ख्याति प्राप्त कर ली हो।
- किसी भी ट्रेडमार्क की सुरक्षा का स्तर मार्क की मज़बूती के साथ बदल जाता है, **चिह्न जितना मज़बूत होगा, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी।**

प्रश्न. TRIPS समझौते का अनुपालन करने के लिये भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को अधिनियमित किया। "ट्रेड मार्क" और भौगोलिक संकेत के बीच क्या अंतर है/हैं? (2010)

1. ट्रेडमार्क एक व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है, जबकि भौगोलिक संकेत एक समुदाय का अधिकार है।
2. एक ट्रेडमार्क को लाइसेंस दिया जा सकता है, जबकि एक भौगोलिक संकेतक को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।
3. एक ट्रेडमार्क विनिर्मित वस्तुओं को दिया जाता है, जबकि भौगोलिक संकेत केवल कृषि वस्तुओं/उत्पादों और हस्तशिल्प को दिया जाता है।\

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/trademark-1